भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1946
उत्तर दिनांक 11/02/2026 को दिया गया

भारी पानी बोर्ड परियोजना का विस्तार

1946. श्री परषोत्तमभाई रुपाला

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) गुजरात के हजीरा में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत भारी पानी बोर्ड की विस्तार परियोजना को दी गई मंजूरी, हासिल की गई प्रगति और चालू करने की समय-सीमा सहित वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त विस्तार से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का अनुमान लगाने के लिए कोई आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के समन्वय से हजीरा सुविधा के लिए पर्याप्त वास्तविक, साइबर और परिधि सुरक्षा उपाय किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की संघटक इकाई भारी पानी बोर्ड (एचडब्ल्यूबी) का अधिदेश भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम (आईएनपीपी) की मांग को पूरा करने के लिए भारी पानी का उत्पादन करना है। विभाग ने हजीरा में द्वि-धारा भारी पानी संयंत्र (एचडब्ल्यूपी) की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। संबंधित एजेंसियों से वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। सभी मंजूरियां प्राप्त होने पर, परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) उक्त विस्तार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्रमशः लगभग 200 और 300 की संख्या में रोजगार अवसर का अनुमान है।

(ग) हां, केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के समन्वय से हजीरा सुविधा के लिए पर्याप्त भौतिक, साइबर और परिधि संरक्षा उपाय लागू हैं। राज्य रिजर्व पुलिस बोर्ड (एसआरपीएफ) और कृभको सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से भौतिक और परिधि सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।
